कार्यालयः– जिला शिक्षा अधीक्षक, सिमडेगा

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार झारखण्ड अधिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से 08 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उतीर्ण आवेदकों से गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (कला, विज्ञान, भाषा, उर्दु भाषा शिक्षक) के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या–03 / 2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में पोस्ट / निबंधित डाक के माध्यम से आवदेन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में निर्धारित अवधि तक कक्षा 06 से 08 के लिए कुल 4223 आवेदन पत्र कार्यालय को प्राप्त हुए थे। प्रथम काउंसिलिंग के उपरांत शेष रिक्त पदों हेतु द्वितीय काउंसिलिंग का आयोजन किया गया है जिसके लिए मेधा सूची तैयार की गई है, जिसे www.simdega.nic.in पर देखा जा सकता है।

मेधा सूची के अभ्यर्थियों के लिए काउंसेलिंग मात्र यह निर्धारित एवं मिलान करने के लिए किया जाना है कि आवेदन के साथ संलग्न छाया प्रति अभिलेख का मूल अभिलेख, विशेषकर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से वांछित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रामण पत्र, शैक्षणिक / आवासीय / आरक्षण कोटि एवं अन्य का प्रमाण पत्र, आवेदक के साथ वास्तविक रूप से उपलब्ध है। अतएव काउंसेलिंग हेतु बुलावा का अर्थ नियुक्ति हेतु बुलावा नहीं है अथवा काउंसेलिंग में सफल पाए जाने का अर्थ उनकी नियुक्ति की संपुष्टि नहीं है। यह नियुक्ति अथवा नियुक्ति की संपुष्टि का एकल अंतिम आधार नहीं है एवं वर्त्तमान अथवा भविष्य में जाँच में कोई भी गलत तथ्य पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की दावेदारी / नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध वैधानिक कारवाई भी की जा सकेगी।

काउंसेलिंग हेतु मेधा सूची में अंकित अभ्यर्थियों का काउंसेलिंग की तिथि निम्नवत् निर्धारित की गई है।

काउंसेलिंग की तिथिएवं समय	स्थान एवं समय	प्रतिभागी का विवरण
01-10-2015 **(प्रातः 10.00 बजे से संध्या 5.00 बजे तक)**	सभागार, समाहरणालय भवन, 'सी' ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, खुँटीटोली, सिमडेगा।	कक्षा 06 से 08 के सभी कोटि के चयनित अभ्यर्थी

काउंसेलिंग के कम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ उपायुक्त सिमडेगा द्वारा गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है :–

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्रों के साथ।
2. महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब वो सक्षम पदाधिकारी का नियोजन हेतु प्रमाण पत्र(न्यूनतम अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर का)।